न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा , आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 171/2012

प्रार्थीगण :-

1. अमरा पुत्र खींया
2. धन्ना पुत्र खींया
3. मल्ला पुत्र खींया
4. भीका पुत्र खींया
5. प्रकाश पुत्र भीका
   जातियान-माली,निवासी-मोतीवाला
   बेरा, लिलरिया (आ0कालू)
   तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

बनाम

अप्रार्थी :-

1. बींजाराम पुत्र शिवराम
   जाति-माली,निवासी-बेरा छापरिया
   आनन्दपुर कालू
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू: 04/09/2012

उपस्थितः. 1. श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, सायल।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः 13/12/2017

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-कांवलियाखुर्द, तहसील-जैतारण में प्रार्थीगण की पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 525 रकबा 4-13 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई हैं। जिस पर प्रार्थीगण कब्जा व काश्त करते आ रहे हैं। मुतनाजा भूमि पर सैटलमेन्ट के पहले से प्रार्थीगण संख्या 01 से 04 के बड़े भाई श्रीराम उर्फ भंवरू का व प्रार्थीगण के पिता का कब्जा काश्त था। प्रार्थीगण संख्या 01 से 04 के बड़ा भाई श्रीराम उर्फ भंवरू के कब्जे काश्त के आधार पर धार 19 आर0टी0एक्ट 1955 के तहत् लगातार काश्त होने से म्यूटेशन संख्या 19 दिनांक 16/06/1962 को खातेदारी अधिकार दिये गये थे। तब से लगातार राजस्व रेकर्ड में संवत् 2018 ये आज दिन तक लगातार श्रीराम पुत्र खींया कौम-माली का नाम चला आ रहा हैं। श्रीराम के फौत होने पर श्रीराम के भाई प्रार्थीगण का कब्जा काश्त शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक के एज ऑफ राईट के खातेदार की हैसियत से चला आ रहा हैं। प्रार्थीगण मृतक श्रीराम के सगे भाई होने से इनके अलावा अन्य कोई वारिस व उत्तराधिकारी नहीं होने से प्रार्थीगण ही उक्त जमीन पर काबिज हैं व काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण गरीब व अनपढ़ काश्तकार हैं आज दिन तक किसी व्यक्ति द्वारा कब्जे काश्त में रोक टोक नहीं करने से राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवा सकें। अब जमीन की किमते बढ़ने से भू-माफिया लोगों ने षड़यंत्र रचकर दिनांक 14/05/2012 को प्रार्थीगण का भाई श्रीराम उर्फ भंवरू की मृत्यु आज से 40-45 वर्ष पहले होने के उपरान्त भी फर्जी श्रीराम पुत्र खींया जाति-माली बनकर अब्दुल हमीद पुत्र कालूखां के नाम रजिस्ट्री करवा दी तथा मृतक श्रीराम का फर्जी राशन कार्ड एवं निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र फर्जी बनाकर रजिस्ट्री के साथ्ज्ञ पेश किया हैं। राशन कार्ड श्रीराम के नाम के साथ श्रीराम की पत्नि दाखुदेवी व पुत्री मुन्नीदेवी फर्जी बताकर रजिस्ट्री के साथ पेश किया हैं। इसी फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हुये बिना ही अब्दुल हमीद पुत्र कालूखां

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

जाति–सिपाही मुसलमान निवासी–जैतारण द्वारा रतनदान पुत्र मदनदान जाति–चारण निवासी–कांवलियाखुर्द के नाम रजिस्ट्री करवा दी गई। फिर प्रार्थीगण को मालुम पड़ने पर दिनांक 17/07/2012 को एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष इस आशय का पेश किया कि फर्जी रजिस्ट्री के माफिक म्यूटेशन नहीं भरने व तहसीलदार जैतारण द्वारा जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने का लिखा गया। तहसीलदार जैतारण ने उसी दिन पटवारी हल्का कांवलिया को तहरीर जारी की कि खसरा नम्बर 525 रकबा 4–13 बीघा किस्म बारानी अव्वल का बेचान का अग्रिम आदेश तक नामान्तरकरण नहीं किया जावें। विवादित जमीन के खरीदकर्ता रतनदान का यह ज्ञात हुआ कि मेरे विरूद्ध फौजदारी इस्तगासा धारा 467, 468, 469, 471, 420, 120(बी) आईपीसी का पेश हो चुका हैं। तब अप्रार्थी बींजाराम से मिलकर प्रार्थीगण के विरूद्ध एक वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा व रेकर्ड दुरस्ती अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट 1956 का बड़ी रकम प्राप्त करके पेश करवा दिया। जबकि उक्त फर्जी रजिस्ट्री करवाने तथा रजिस्ट्री में साख डालने वाले को रतनदान चारण द्वारा तैयार किया गया और फिर रतनदान चारण ने रजिस्ट्री से रजिस्ट्री अपने नाम दिनांक 18/06/2012 को करवाई। रतनदान चारण सेवानिवृत पटवारी होने से तथा गांव कांवलिया का रहने वाला होने से तथा राजस्व रेकर्ड की जानकारी होने से सभी फर्जी कार्यवाही इनके द्वारा करवाई गई। फैजदारी मामले से बचने की नियत से अप्रार्थी से राजस्व वाद बींजाराम बनाम अमरा वगैरा के नाम झूठा पेश करवाया गया। जिसमें अब्दुल हमीद एवं रतनदान एवं फर्जी रजिस्ट्रीकर्ता बाबुलाल बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया। जबकि यह तीनों प्रतिवादी संख्या 06 से 08 षड़यंत्र रचने में सामिल हैं। केवल मात्र प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की जमीन हडपने की नियत से जानबूझकर प्रार्थीगण गरीब अनपढ काश्तकार होने से नाजायज फायदा उठाने की नियत से झूठा वाद पेश करवाया गया। प्रार्थीगण ग्राम–लिलरिया (आ0कालू) के रहने वाले हैं। जबकि इन्होंने प्रार्थी ने अपने वाद में कांवलिया कालां लिखाया गया हैं। ग्राम–कांवलिया में बेरा मोतीलाल नहीं होकर लिलरिया में आया हुआ हैं। अप्रार्थी अपने वाद में अपने पिता का नाम शिवराम होते हुये भी प्रार्थीगण की जमीन हड़पने की नियत से शिवराम उर्फ श्रीराम करके उक्त वाद पेश किया हैं। जबकि अप्रार्थी बींजाराम के पिता का नाम श्रीराम नहीं होकर शिवराम था और दावे में पिता का नाम शिवराम उर्फ श्रीराम लिखा गया, जो सरासर गलत हैं। अप्रार्थी बलवा बनाकर विवादित भूमि पर लाठी के बल पर नाजायज तौर से जबरदस्ती कब्जा करने पर आमादा हैं। मौके पर विवादित भूमि पर फसल बोने की धमकीयां देता हैं और प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा हैं। जबकि प्रार्थीगण का बतौर खातेदार काश्तकार के पिछले 50 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। कानून की यह मंशा हैं कि जहां राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टियां के सम्बन्ध में विवाद होने पर रिसीवर की नियुक्ति ही सही उपाय हैं। जहां दर्ज सुदा खातेदारी व कब्जे में होने वाले व्यक्ति सम्बन्ध में विवाद हो तो भी रिसीवर नियुक्त किया जाना लाजमी हैं अप्रार्थी यह जानते हुए कि विवादित भूमि पर मेरा कोई हक, हिस्सा, अधिकार नहीं हैं। उनके उपरान्त भी गलत तथ्य बताकर व गलत वल्दीयत बताकर झूठा वाद व प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट पेश किया हैं। अप्रार्थी का उक्त विवादित भूमि पर कभी सराकज नहीं रहा न वर्तमान में कोई कब्जा काश्त हैं। केवल मात्र रतनदान सेवानिवृति पटवारी के बहकावे में आकर उक्त झूठा वाद पेश किया हैं और हर वक्त झगड़ा करने की नियत से ग्राम कांवलिया व आ0कालू के लोगों को

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पार्टी बनाकर मौके पर झगड़ा करने पर उतारू हैं। ऐसी स्थिति में उक्त विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त कर रिसीवर के कब्जे में दी जाना न्यायतन जरूरी हैं। अन्यथा उक्त भूमि को लेकर खून-खच्चर होने की पूर्ण संभावना हैं। यदि अप्रार्थी का कब्जा काश्त होता तो 50 वर्षो तक अप्रार्थी चुपचाप बैठा नहीं रहता और खातेदारी अधिकार बाबत् कार्यवाही अवश्य करता। प्रार्थीगण की कमजोरी का नाजायज फायदा उठना चाहता हैं। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात पेश कर निवेदन हैं कि उक्त विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाकर रिसीवर के कब्जे में दी जावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी का दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रा. पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौजा कावलियाखुर्द में ख.नं. 525 रकबा 4-13 बीघा में अप्रार्थी का कब्जा काश्त हैं। इस आराजी पर सेट्लमेन्ट से पूर्व का अप्रार्थी का कब्जा काश्त रहा हैं। प्रार्थीगण का इस आराजी पर कोई कब्जा काश्त नही हैं। प्रार्थीगगण 01 से 04 ने जमीन हड़पने की नियत से भवरू पुत्र खीया के आगे गलत रूप से श्रीराम अंकित किया गया है। जबकि भंवरू वल्द खीया को कभी भी श्रीराम के नाम से ना तो जानते थे ओर न ही पहचानतें है। केवल भंवरू को श्रीराम बताकर विवादित भूमि हड़पना चाहते हैं धारा 17 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत नामान्तरकरण सं. 19 के तहत दिनांक 16.06.1962 को श्रीराम उर्फ भंवरू को खातेदारी दिये जाने का कथन पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है। सेट्लमेन्ट से पहले से ही अप्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी के पिता की वदियत खीवां दर्ज कर दी गई है जो एक रोंग एन्ट्री है। दावा घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। धारा 136 एवं धारा 140 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई विधि विरूद्ध रोंग एन्ट्री के रूप में सहवन से खातेदारी में नाम अंकित हो जाने से उसके आधार पर अनुतोष पाने का कोई अधिकार नही हैं। प्रार्थीगण के पिता प्रपिता का कोई कब्जा काश्त नही रहा है। विवादित भूमि से अप्रार्थी को बेदखल कर हड़पना पर आमदा हैं। दिनांक 14.05.2012 को 1,25,000/- में विवादित भूमि को कूटरचित दस्तावेजात से पंजियन करवाया है। खरीददार सेवा निवृत पटवारी रतनदान को यह ज्ञात हुआ कि मेरे विरूद्ध एवं बेचान कर्त्ता के विरूद्ध फौजदारी इस्तगासा पेश होने की जानकारी होने पर एवं वाद पेश किया है। कमिश्नर रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी का विवादित भूमि पर सेट्लमेन्ट से पजेशन है, अप्रार्थी का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त है तो किसी प्रकार से रिसीवर नियुक्त करवाने के अधिकारी नही हैं। अप्रार्थी को गत 70 वर्षो से अधिक समय से उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण द्वारा रिसीवर मुकर्रर करवाने का प्रार्थना पत्र अवैधानिक निराधार होने से मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमावे।

बहस वकुलाय सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में जाहिर किया है कि प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदार घोषित हो गया है। अप्रार्थी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बार बार दखल करने से उक्त विवादित आराजी ख.नं. 525 रकबा 4-13 बीघा को रिसीवर नियुक्त किया जावें। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में जाहिर किया हैं कि वल्दियत गलत होने से धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में खातेदारी प्राप्त की है वह बेबुनियाद है। अप्रार्थी का 70 वर्षो से पहले का कब्जा काश्त हैं। अप्रार्थी का कब्जा काश्त होने से रिसीवर नियुक्त नही करने का आदेश फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बहस वकुलाय समायत की गई। पत्रावली मय दस्तावेजात एवं इस प्रा. पत्र से सम्बद्ध मूल वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रा.पत्र मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकुलाय पर पर गौर कर मनन किया गया। राजस्व दरख्वास्त् बींजाराम बनाम अमरा वगैरा में अस्थायी निषेधाज्ञा अप्रार्थी के पक्ष में वाद निर्णय होने तक का आदेश पारित कर दिया हैं। प्रार्थीगण का कब्जा तथाकथित भूमि पर नही होने से रिसीवर का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से इस विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त नही किया जा सकता हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होन से खारिज किया जाना उचित समझतें हैं।

=:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अप्रार्थी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से इस विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त नही किया जा सकता हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 18/12/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner